क.रा.बी.नि.
ESIC

ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಗಮ
(ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ನಂ.10, ಬಿನ್ನಿಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 023
क्षेत्रीय कार्यालय, कर्नाटक,नं. 10 बिन्नी फील्ड्स, बिन्नीपेट, बेंगलोर – 560 023.
REGIONAL OFFICE, KARNATAKA, NO. 10, BINNYFIELDS, TANK BUND ROAD, NEAR ETA MALL, BINNYPET, BENGALURU–560 023, Phone – 080-26742485 / 26749718,
E-mail – rd-karnataka@esic.nic.in, Website: www.esic.gov.in

पत्र सं./No.53.CASH.MR.TIE-UP.2020.VOL.11 दिनांक/Dated: -01/12/2025

परिपत्र/CIRCULAR

कार्यालय के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ कर्मचारी और पेंशनभोगी टाई अप अस्पतालों में उपचार के दौरान प्राथमिकता नहीं मिलने अथवा अन्य किसी मुद्दे पर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं या आपस में बहस कर रहे हैं। अस्पतालों ने इस तरह के व्यवहार के बारे में इस कार्यालय के समक्ष बार-बार अपनी चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में, इस कार्यालय को पहले से सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के नवीनीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है/

It has come to our notice that instances of staff and pensioners creating chaos or engaging in arguments for not receiving priority treatment or over some other issues. The hospitals have repeatedly expressed their concern regarding such behavior to this office. In this regard, this office has been facing difficulties in renewing the MoU with the already empaneled tie-up hospitals.

उपरोक्त के मद्देनजर, सभी स्टाफ सदस्यों और पेंशनभोगियों से अनुरोध हे कि चिकित्सा के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में जाते समय कृपया अस्पताल प्राधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें/ In view of the above, all the Staff members and Pensioners are requested to kindly extend full cooperation to the Hospital Authorities while visiting the empaneled hospitals for medical treatment.

सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अस्पताल की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें, आवश्यक दस्तावेज जमा करें, तथा कैशलेस और प्रतिपूर्ति सुविधाओं सहित चिकित्सा सेवाओं की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें/All the beneficiaries are advised to follow the hospital's prescribed procedures, submit the required documents, and adhere to the instructions issued by the hospital staff to ensure smooth processing of medical services, including cashless and reimbursement facilities.

अतः, अनुरोध है कि अस्पताल में उपचार प्राप्त करते समय कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के आचार संहिता का पालन करें। यदि अस्पताल किसी भी व्यक्ति को दुर्व्यवहार की वजह से उपचार देने से मना करता है, तो यह कार्यालय उस अस्पताल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकेगा/ Hence, it is requested to follow the **Code of Conduct for Staff/Pensioners While Availing Treatment in Hospital**. If, hospital denies treatment to anybody subject to behavior, this office would not be able to take any sort of action against the hospital.

समय पर और परेशानी मुक्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है Your cooperation is essential for facilitating timely and hassle-free medical assistance.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है/This has approval of the Competent Authority.

Digitally signed by
SWETA SINHA
Date: 02-12-2025
12:23:27

सहायक निदेशक (रोकड़)

सेवा में/To,

1. सभी स्टाफ/पेंशनभोगी एवं उनके आश्रितजन/All Staff/Pensioners and their dependents.

2. सूचनापट्ट/Notice Board.